

## राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1474/2014/श्रीगंगानगर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी  
घट-प्रथम, प्रतिकरापवचन, श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स इन्सेक्टिसाईड इण्डिया लिमिटेड  
श्रीगंगानगर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ  
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थितः

श्री अनिल पोखरणा  
उप राजकीय अभिभाषक  
क्रोई रडी  
निर्णय दिनांक 23.11.2015

अपीलार्थी की ओर से  
प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, प्रतिकरापवचन, श्रीगंगानगर (जिसे आगे “कर निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा यह अपील अपीलार्थीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर, अलवर (जिसे आगे “अपीलार्थीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 136/आरवैट/2013-14/उपा/अपील्स/अलवर में पारित आदेश दिनांक 06.03.2014 के विरुद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 76 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 4,50,865/- एवं कर रु. 75,144/- कुल रु. 5,26,010/- को अपास्त किया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 04.12.2013 को वाहन संख्या एचआर-39/ए-2738 को शार्दुलशहर, श्रीगंगानगर मार्ग पर जांच करने पर उसमें 821 कार्टून पेरिटिसाईड्स मैसर्स इन्सेक्टिसाईड इण्डिया लिमिटेड, चौपानकी (भिवाडी) द्वारा मैसर्स इन्सेक्टिसाईड (इण्डिया) लिमिटेड श्रीगंगानगर के लिए परिवहनित किया जाना पाया गया। वाहन में लदे माल से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा बिल एवं बिल्टी (कन्साइनमेन्ट नोट) प्रस्तुत किये गये। उक्त दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि बिल में माल की बिक्री sales against 'F' from stock transfer भिवाडी से श्रीगंगानगर अंकित होना एवं जारी वैट इनवाईस में वेट चार्ज नहीं करने के सम्बन्ध में विरोधाभासी दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी को सन्देह होने पर अधिनियम की धारा 76(5) के अन्तर्गत उक्त वाहन को मय माल डिटेन किया गया। तत्पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने पर कम्पनी व्यवसायी के प्रतिनिधि द्वारा सन्तोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर अधिनियम की धारा 76 (2) की अवहेलना

होने से अधिनियम की 76(6) के अन्तर्गत कर एवं शास्ति आरोपित की गई। कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 05.12.2013 से असन्तुष्ट होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील करने पर उन्होंने प्रकरण के तथ्यों पर विस्तृत विवेचन के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति एवं कर को अपास्त कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2014 पारित किया, जिससे असन्तुष्ट होकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 04.12.2013 को वाहन संख्या एचआर-39 / ए-2738 को शार्दूलशहर, श्रीगंगानगर मार्ग पर जांच करने पर उसमें 821 कार्टून पेस्टिसाईड्स मैसर्स इन्सेक्टिसाईड इंपिड्या लिमिटेड, चौपानकी (भिवाडी) द्वारा मैसर्स इन्सेक्टिसाईड (इप्पिड्या) लिमिटेड श्रीगंगानगर के लिए परिवहनित किया जाना पाये जाने पर वाहन लदे माल से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक द्वारा बिल एवं बिल्टी (कन्साईनमेन्ट नोट) प्रस्तुत किये गये। उनका कथन है कि वक्त जांच प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर पाया गया कि बिल में माल की बिक्री sales against 'F' from stock transfer भिवाडी से श्रीगंगानगर अंकित होना एवं जारी वैट इनवाईस में वेट चार्ज नहीं करने के सम्बन्ध में विरोधाभासी दस्तावेज प्रस्तुत करने से करापवंचन किया जाना प्रमाणित होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(5) के अन्तर्गत उक्त वाहन को मय माल डिटेन किया गया। उनका कथन है कि निर्धारण अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने पर कम्पनी व्यवसायी के प्रतिनिधि द्वारा सन्तोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर अधिनियम की धारा 76 (2) की अवहेलना होने से अधिनियम की 76(6) के अन्तर्गत कर एवं शास्ति आरोपित की गई है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति एवं कर को अपास्त किया है, जो अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन करते हुए अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

नोटिस तामील होने के बावजूद प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है इसलिए प्रकरण के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात निर्णय पारित किया जा रहा है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा चौपानकी, भिवाडी स्थित हैड ऑफिस द्वारा राज्य के

भीतर श्रीगंगानगर स्थित अपनी शाखा को पेस्टीसाईड का स्टॉक ट्रांसफर आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रेषित किया गया है। माल प्रेषित करते समय बिल भिवाडी से श्रीगंगानगर के लिए बनाया गया, जिसमें सेल्स अगेन्स्ट एफ फार्म अंकित किया गया और वैट इनवाईस जारी करने पर वैट चार्ज नहीं किया गया, इसलिए अधिनियम की धारा 76 (2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए कर निर्धारण अधिकारी ने कर एवं शास्ति का आरोपण किया है। विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के समस्त तथ्यों, उनके समक्ष उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों एवं अधिनियम की धारा 76 (2) (बी) तथा 76 (6) के प्रावधानों को उद्धृत करते हुए निम्न निष्कर्ष दिया है :—


“उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 76 (2) (बी) के प्रावधानानुसार माल के परिवहन के दौरान माल के साथ आवश्यक प्रपत्र यथा—बिल, बिल्टी एवं निर्धारित घोषणा पत्र वैट-47/49 विधिवत रूप से भरा हुआ होना आवश्यक है तथा जांच के समय चालक द्वारा इन्हें जांचकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 76 (6) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि यदि अधिनियम की धारा 76 (2) (बी) के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने अथवा असत्य/बोगस दस्तावेजों से माल का परिवहन किये जाने पर अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत परिवहनित माल की कीमत के 30 प्रतिशत के बराबर शास्ति आरोपणीय होगी। चूंकि रिकार्ड के परिशीलन से यह तथ्य पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकरण में माल का परिवहन राज्य के भीतर होने से माल के साथ निर्धारित घोषणा पत्र वैट-47/49 की आवश्यकता नहीं थी इसके अतिरिक्त अन्य सभी दस्तावेज परिवहनित माल के साथ मौजूद थे जिन्हें वाहन चालक द्वारा जांचकर्ता अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे। अतः उक्त आधार पर यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि परिवहनित माल के साथ आवश्यक समस्त दस्तावेज उपलब्ध थे जिन्हें जांचकर्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा बाद जांच असत्य एवं बोगस होना साबित नहीं किया गया है जबकि अधिनियम की धारा 76 (6) में स्पष्ट प्रावधान है कि अधिनियम की धारा 76 (2) (बी) का उल्लंघन होने अथवा दस्तावेज बाद जांच असत्य एवं बोगस साबित होने पर ही अधिनियम की धारा 76 (6) के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की जा सकती है। इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 76 (2) (बी) का उल्लंघन नहीं किया गया है क्योंकि माल के परिवहन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज मौजूद थे जिन्हें वाहन चालक द्वारा जांचकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये गये थे एवं दोनों अधिकारियों द्वारा इन दस्तावेजों को बाद जांच असत्य एवं बोगस साबित नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा विवादित आदेश के तहत आरोपित कर व

2

शास्ति को उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रकरण उच्चतम न्यायालय के मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज के निर्णय भी कवर नहीं माना जा सकता क्योंकि इस प्रकरण में माल का परिवहन राज्य के भीतर ही होने के कारण माल के साथ घोषणा पत्र वैट-47/49 की आवश्यकता नहीं थी।”

अपीलीय अधिकारी के उक्त निष्कर्ष के पश्चात कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर एवं शास्ति को अपास्त किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त निष्कर्ष के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों, विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक दृष्टान्तों की समग्र रूप से विवेचना करने के पश्चात अपना निष्कर्ष दिया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त निष्कर्ष के पश्चात प्रकरण तथ्यों की और विवेचना किये जाने की आवश्यकता यह पीठ अनुभव नहीं करती है। फलतः अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.03.2014 की पुष्टि करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
(सुनील शर्मा)  
सदस्य